कोटा में अवैध हथियार व वाहन सहित हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

आरोपी के पास से 2 देशी पिस्टल, 5 देशी कट्टे व 27 जिंदा कारतूस बरामद किये

कोटा, (निसं)। रानपुर पुलिस टीम ने इलाके में आकस्मिक चैकिंग के दौरान अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाने के हिस्ट्रीशीटर कालू भड़क को सात अवैध हथियारों व 27 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने पकड़े गये आरोपी के पास से 2 देशी पिस्टल मय मैगजीन मय 4 अतिरिक्त मैगजीन, 5 देशी कट्टे व 27 जिंदा कारतूस बरामद किये हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुछ हथियार मौके पर उसके वाहन से जब्त किये हैं एवं कुछ हथियार व कारतूस पकड़े गये आरोपी के घर से बरामद किये हैं।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये शहर के समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है। अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई के लिये शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। शहर एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि रानपुर थाने के उप निरीक्षक थानाधिकारी भीमसिंह मय जाब्ता इलाके में गश्त कर रहे थे, गश्त के दौरान थानाधिकारी ने सूचना के आधार पर रानपुर के रीको क्षेत्र में मय जाब्ता मौके पर पहुंचकर टाटा सफारी गाड़ी को रोक कर उसकी तलाशी ली तो, तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने कार से 2 देशी पिस्टल मय मैगजीन, दो अतिरिक्त मैगजीन व 1 देशी कट्टा तथा 15 जिंदा कारतूस बरामद किये। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए लखावा निवासी कालू भड़क उर्फ कालू (45) को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों सहित पकड़ा गया आरोपी कालू भड़क थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान के बाद पुलिस टीम ने आरोपी के घर से भी 4 देशी कट्टा 12 जिंदा कारतूस व 2 मैगजीन बरामद किये।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जानकारी दी।

शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी से हथियारों की खरीद-फरोख्त एवं मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्ता के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि उक्त कार्रवाई पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा के सुपरविजन में की गई।

मादक पदार्थ सहित तीन गिरफ्तार

टोंक, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम प्रभारी ओमप्रकाश नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जिले के तीन थाना क्षेत्रों में छापामारी नशे के खिलाफ कार्रवाई कर अवैध मादक पदार्थ सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

इस कार्रवाई के दौरान टोंक सदर थाना क्षैत्र स्थित बंबोर रोड पर अम्बेडकर कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड निवासी सनी सांसी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल पर करीबन 50 हजार रूपये कीमत का एक किलोग्राम से अधिक अवैध मादक पदार्थ गांजा व 100 लीटर हथकड़ शराब जब्त की जाकर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस व एक्साइज एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है।

इसी प्रकार टीम ने थाना कोतवाली क्षेत्र में 99 शॉप पर छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी नवेद खान के कब्जे से करीबन 70 हजार रुपए कीमत की प्रतिबंधित 31 पलेवर युक्त ई सिगरेट (इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट) पांच धारदार चाकू व खरीद फरोख्त राशि 3300 रूपये बरामद किए जाकर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। वहीं डीएसटी टीम ने पुलिस थाना पचेवर क्षेत्र के कचोलिया ग्राम में आरोपी रामपाल जाट के कब्जे से करीबन 15 हजार रूपये कीमत का एक किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्त बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

भीलवाड़ा में हवाला के 24 लाख रुपये के साथ दो को पकड़ा

- **पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश और गुजरात के रहने वाले हैं, जो कन्नुकांति नामक हवाला नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे**

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के व्यस्ततम इलाके गोल प्याऊ चौराहे पर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 24 लाख 10 हजार रुपये की संदिग्ध नगदी बरामद की है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश और गुजरात के रहने वाले हैं, जो कन्नुकांति नामक हवाला नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे।

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के आदेशानुसार जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में (प्रो.) आयुष श्रोत्रिय को सूचना मिली कि महावीर सुगंध वाली गली में दो युवक बैग लेकर जा रहे हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में कैश होने की संभावना है। सूचना मिलते ही कोतवाली थानाधिकारी शिवराज गुर्जर के नेतृत्व में एएसआई सुरेश कुमार और टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देख युवक घबरा गए। संदेह होने पर जब उनके बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें 500 और 200 रुपये के नोटों की थड्डियां बरामद हुई। पुलिस ने जब बरामद राशि के संबंध में दस्तावेज या लाइसेंस मांगे, तो आरोपी कोई भी वैध रसीद पेश नहीं कर सके। इस पर पुलिस ने राशि जब्त कर दोनों आरोपी गोपाल सिंह पुत्र मानसिंह परमार निवासी उज्जैन (म.प्र.) और सिद्धराज सिंह पुत्र भंवर सिंह वाघेला निवासी मेहसाना (गुजरात) को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके।

बंद पेंशन वापस चालू कराने के नाम पर ठगी

बयाना/भरतपुर, (निसं)। बयाना कस्बे में सायबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। रेलवे विभाग के नाम पर झांसा देकर एक व्यक्ति के खाते से 63 हजार रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है।

मामला बयाना कस्बे की सुनार गली का है, जहां निवासी जयप्रकाश सोनी सायबर ठगी का शिकार हो गए। जयप्रकाश सोनी ने बताया कि 9 फरवरी को उनके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रेलवे विभाग का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनके पिता हरिप्रकाश सोनी की पेंशन बंद हो गई है। ठग ने पेंशन दोबारा चालू कराने के नाम पर एक लिंक भेजा और उसे डाउनलोड कर मोबाइल में जानकारी भरने को कहा। जैसे ही जयप्रकाश ने एप्लिकेशन डाउनलोड कर जानकारी भरी, उनके खाते से तीन अलग-अलग ट्रांजेक्शन में 63 हजार रुपये कट गए। जयप्रकाश के पिता हरि प्रकाश सोनी रेलवे विभाग में खल्लासी पद से रिटायर्ड हैं। पैसे कटने का मैसेज आते ही जयप्रकाश ने तुरंत बैंक से संपर्क कर अपना खाता बंद कराया। जब उन्होंने वापस उस नंबर पर कॉल किया तो मोबाइल नंबर बंद मिला। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर बयाना कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच जारी है।

डूंगरपुर में कार से 22 कार्टून अवैध शराब जब्त

शराब को डिग्गी और सीटों के बीच छिपाकर गुजरात ले जा रहा ड्राइवर गिरफ्तार

- **धंबोला थाना पुलिस ने दिल्ली नंबर की एक स्विफ्ट डिजायर कार से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की**

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के धंबोला थाना पुलिस ने दिल्ली नंबर की एक स्विफ्ट डिजायर कार से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। यह शराब कार की डिग्गी और पीछे की सीटों के बीच छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

धम्बोला थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवल ने बताया कि ऑपरेशन स्वच्छता के तहत शराब तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस को एक कार से अंग्रेजी शराब की तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर मांडली जाने वाले रोड पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान गेंजी की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार दिल्ली नंबर की कार को रोका गया। पूछताछ करने पर ड्राइवर ने अपना नाम धर्माराम पुत्र महेंद्र कुमार जाट निवासी सनावाड़ा, थाना सदर बाड़मेर बताया। चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार की डिग्गी और पीछे की सीट के बीच 22 कार्टून विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब मिली।

शराब के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज ड्राइवर के पास नहीं थे। पुलिस ने तत्काल कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में ड्राइवर धर्माराम जाट को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह शराब तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है।

बिहार की बबुआ गैंग से जुड़ते जा रहे हैं उदयपुर की मणप्पुरम गोल्ड लूट के तार

बबुआ गैंग ने ही एक दशक में देशभर में 400 किलो से ज्यादा सोना लूटा था

- **बिहार के कुख्यात गोल्ड लुटेरे सुबोध सिंह उर्फ बबुआ की गिरफ्तारी के बाद यह लगभग साफ हो गया है कि उदयपुर की इस सनसनीखेज लूट के तार उसी गैंग से जुड़े हैं**

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर शहर में 29 अगस्त 2022 को दिनदहाड़े हुई मणप्पुरम गोल्ड लोन शाखा लूट के तार बिहार के कुख्यात गोल्ड लुटेरे सुबोध सिंह उर्फ बबुआ गैंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं।

राजस्थान पुलिस की ताजा कार्रवाई में बिहार के कुख्यात गोल्ड लुटेरे सुबोध सिंह उर्फ बबुआ की गिरफ्तारी के बाद यह लगभग साफ हो गया है कि उदयपुर की इस सनसनीखेज लूट के तार उसी गैंग से जुड़े हैं, जिसने एक दशक में देशभर में 400 किलो से ज्यादा सोना लूटा था। उल्लेखनीय है कि 29 अगस्त 2022 की सुबह उदयपुर के सुंदरवास स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन की शाखा में पांच नकाबपोश बदमाश घुसे। हथियारों के बल पर कर्मचारियों को बंधक बनाया गया। बदमाशों ने तिजोरी खुलवाई और करीब 23.24 किलो सोना तथा 10-11 लाख रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात महज 20-25 मिनट में अंजाम दी गई। सीसीटीवी फुटेज मिले, लेकिन बदमाश शहर से बाहर निकल चुके थे। पुलिस जांच में सामने आया कि लूट पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। ब्रांच की टाइमिंग, स्टाफ की मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था तक की रेकी पहले से की गई थी। अब इस केस की कड़ियाँ सीधे सुबोध सिंह उर्फ बबुआ से जुड़ती दिख रही है। राजसमंद जिले की कांकरोली पुलिस ने उसे ओडिशा से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। सुबोध सिंह पर देश के अलग-अलग राज्यों में लूट, हत्या और डकैती के 42 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सुबोध बिहार के नालंदा जिले के चिस्तीपुर गांव का रहने वाला है। उम्र करीब 42 साल, पढ़ाई 12वीं पास है। शुरुआत छोटे-मोटे अपराधों से की, फिर 1999 से 2007 तक बिहार पुलिस का मुखबिर रहा। इसी दौरान उसने पुलिस की कार्यशैली, पूछताछ के तरीके और सिस्टम की कमजोरियों को बारीकी से समझ लिया। साल 2008 में सुबोध ने पहली बड़ी डकैती कोलकाता की एक बैंक में डाली, फिर रायपुर में वारदात की। 2015 तक वह रायपुर जेल में रहा। जमानत पर छूटने के बाद उसने रणनीति बदली और मुथूट, मणप्पुरम जैसी गोल्ड लोन कंपनियों और बड़े ज्वैलर्स को निशाना बनाना शुरू किया। उसने एक संगठित गैंग खड़ी की। हर वारदात से पहले रेकी, हर सदस्य का तय रोल तय करता। एक लूट में 15 से 30 किलो तक सोना मिलता था।

इस गैंग ने उदयपुर में 29 अगस्त 2022 को मणप्पुरम गोल्ड लोन, सुंदरवास से 23-24 किलो सोना लूटा था, वहीं राजसमन्द जिले के कांकरोली में 23 अगस्त 2023 को रूपम गोल्ड ज्वैलर्स से 3 किलो सोना और 18 लाख नकदी लूटी। कांकरोली केस में इस्तेमाल की गई बाइक बिहार से चोरी की गई थी और बदमाश ट्रेन से भागे थे। यही पैटर्न उदयपुर केस में भी सामने आया था। पुलिस अब मान रही है कि उदयपुर की मणप्पुरम लूट उसी नेटवर्क का हिस्सा थी जिसमें पहले ही तीन बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

कांकरोली थाने की सीआई सरोज बैरवा के अनुसार सुबोध सिंह की गैंग ने अलग-अलग राज्यों में करीब 400 किलो से ज्यादा गोल्ड लूटा है।

गांजा और स्मैक बेचते एक व्यक्ति गिरफ्तार

- **पुलिस को देख एक व्यक्ति फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है**
- **दोनों व्यक्ति लोगों को स्मैक और गांजा बेचते थे, जिन्हें पुड़िया में बांधकर रखा हुआ था**

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके कब्जे से अवैध गांजा और स्मैक बरामद की गई है। पुलिस को देखकर एक व्यक्ति फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। दोनों व्यक्ति लोगों को स्मैक और गांजा बेचते थे, जिन्हें पुड़िया में बांधकर रखा हुआ था। वहीं मामले को लेकर मथुरा गेट थाना पुलिस जांच कर रही है।

मथुरा गेट थाना अधिकारी देरावर सिंह भाटी ने बताया कि एक टीम अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए रवाना हुई। रात में पुलिस की टीम श्याम नगर तिराहे पर पहुंची। जहां मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि दो व्यक्ति केंद्रीय विद्यालय के पीछे एक दुकान पर गांजा और स्मैक बेच रहे हैं। जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो, एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा।

एक व्यक्ति दुकान के अंदर कुर्सी पर बैठा था, जिसे पुलिस की टीम ने पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अमित निवासी श्याम नगर होना बताया। अमित के पास दो थैली रखी हुई थी, जिसमें से एक थैली को खोलकर देखा तो, उसके अंदर सफ़ेद कागज की दो छोटी-छोटी 28 पुड़िया रखी थी। उसमें से एक पुड़िया को खोलकर देखा तो, उसमें स्मैक थी। सभी पुड़िया से स्मैक निकालकर इकट्ठा किया। तोलने पर 2.97 ग्राम स्मैक पाई गई। दूसरी थैली को देखा तो उसमें 6 पुड़िया थी। जिनमें गांजा भरा हुआ था।

वजन करने पर 3.80 ग्राम गांजा पाया गया। अमित ने बताया कि जो व्यक्ति भागा था जितेंद्र वह गांजा और स्मैक बेचता है। पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर लिया और जितेंद्र की तलाश की जा रही है।

चोरी का सोना गिरवी रखकर लोन लिया

उदयपुर, (कासं)। चाचा के घर से सोना चोरी कर बैंक में गिरवी रख कर ऋण लेने वाले के खिलाफ हाथीपोल थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।

जानकारी के अनुसार पीड़ित अंकुर पुत्र पारसमल निवासी आर्ची गेलेक्सी जेन जेवली हॉल टोटिटरी मैनेजर कोटक महिंन्दा बैक लि. मधुवन बैंक स्ट्रीट ने आरोपी युवराजसिंह पुत्र दुर्जनसिंह राठौड़ निवासी साबला डूगरपुर हॉल द्वारका अपार्टमेंट के पास जामर कोटड़ा रोड़ के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया।

उसने बताया कि आरोपी ने आरोपी ने बैंक में चोरी किया सोना गिरवी रख कर 8 लाख रूपये का ऋण लेने का प्रकरण दर्ज करवाया। आरोपी युवराजसिंह ने 27 जनवरी 2025 में अपने चाचा के घर से सोने के जेवरात चोरी किए थे।

नियमितीकरण व वेतन वृद्धि सहित मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन

राजस्थान आजीविका विकास परिषद के संविदा कर्मचारियों ने भरी हुंकार

- **प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा**

भीलवाड़ा, (निसं)। संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आव्हान पर राजस्थान आजीविका विकास परिषद के संविदा कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।

आजीविका संगठन की जिला अध्यक्ष अनीता कंवर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कर्मचारी मुखर्जी पार्क में एकत्रित हुए और वहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन की मुख्य मांग प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। संगठन की मुख्य मांग है कि सभी संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाए और उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान लाभ दिए जाएं। साथ ही, सभी महिला श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह तय करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई।

ज्ञापन में नए लेबर कोड को कर्मचारी विरोधी बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने, आरसीआरपीसी के तहत कर्मचारियों की वेतन वृद्धि लागू की जाए, फील्ड में कार्यरत प्रत्येक टीम को गांवों में रहने के लिए सुरक्षित सरकारी भवन उपलब्ध करवाए जाए, काम के दौरान फील्ड में आ रही समस्याओं, जैसे ओटीपी मिस और अन्य तकनीकी बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए आदि की मांग की गई। इस दौरान संगठन की कोषाध्यक्ष सत्तू बुनकर, रिंकू पारीक, टीना कंवर, शैफाली, सलमा सहित बड़ी संख्या में आजीविका परिषद के कार्यकर्ता और महिला श्रमिक उपस्थित रही। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी।

युवक ने सुसाइड किया

डूंगरपुर, (निसं)। सदर थाना क्षेत्र के नलवा फला धारिया में एक युवक ने घर में ही साड़ी का फंदा लगा लिया। पत्नी बकरियां चराकर वापस घर लौटी तो पति को फंदे पर लटका देखकर उसके होश उड़ गए। सूचना पर मजदूरी करने गए ससुर भी आ गए। पिता ने बेटे के मानसिक अवसाद में चलने की वजह से सुसाइड करना बताया है।

सदर थाना एसआई रमेशचंद्र ने बताया कि नानूराम मनात निवासी नलवा फला धारिया की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इसमें बताया की बुधवार को वह मजदूरी के लिए डूंगरपुर शहर की ओर गया था। बेटा राजकुमार मनात (24) घर पर अकेला था, जबकि उसकी पत्नी मुन्ना देवी दोपहर के समय बकरियां चराने के लिए गई थी। शाम के समय उसकी पत्नी बकरियां लेकर वापस घर आई तो देखा कि पति राजकुमार घर में ही लकड़ी के पाट से साड़ी का फंदा लगाकर लटका हुआ था।

भीलवाड़ा में दूसरे दिन भी अवैध कब्जे हटाये

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में नगर निगम का अभियान गुरुवार को और भी आक्रामक रूप में दिखाई दिया। निगम के दस्ते ने शहर के व्यस्ततम हरीसेवा मार्ग और प्रताप टॉकीज के आस-पास के इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान वर्षों से जमे पक्के अतिक्रमणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया, जिससे पूरे व्यापारिक क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

जानकारी के अनुसार, हरीसेवा मार्ग पर कई व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर स्थायी चबूतरे और अस्थायी टीनशेड लगाकर सार्वजनिक मार्ग को काफी संकरा कर दिया था। इससे वाहन चालकों और पैदल चलने वाले राहगीरों को भारी परेशानी हो रही थी। बार-बार मिल रही शिकायतों के बाद निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। गुरुवार दोपहर जैसे ही जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंची, दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

टीम ने एक-एक कर अवैध रूप से बने चबूतरों को तोड़ दिया और अवैध केबिनों को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया और कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। हालांकि, मौके पर तैनात पुलिस बल और निगम अधिकारियों ने दो-टूक शब्दों में कह दिया कि सार्वजनिक जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही और शाम तक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं पुलिस बल की तैनाती के कारण स्थिति नियंत्रण में रही।

लैपर्ड ने चार बकरियों को मारा

टोंक, (निसं)। निवाई उपखंड के छोटी बरथल गांव में लैपर्ड ने एक बार फिर पशुओं पर हमला कर चार बकरियों को मार डाला। यह 20 दिनों में चौथी घटना है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार रात गांव बरथल के भैरूजी के मंदिर के पास स्थित गजानंद बेफलावत के बाड़े में हुई हलचल से ग्रामीणों की नींद खुल गई, शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिसके बाद लैपर्ड अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गया। पीड़ित गजानंद बेफलावत के लिए बकरियां आय का मुख्य स्रोत थी। घटना की सूचना निवाई वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रेंजर धारीलाल बैरवा ने अपनी टीम के साथ मौके का मुआयना किया। ग्रामीणों के बढ़ते रोष को देखते हुए विभाग ने जानवर को पकड़ने के लिए क्षेत्र में दो पिंजरे लगाए हैं। फॉरेस्ट रेंजर बैरवा ने बताया कि वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है और जल्द ही लैपर्ड को पकड़ लिया जाएगा।

घायल की मौत के बाद दूसरे दिन भी सर्व समाज में आक्रोश

- **प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए**
- **सर्व समाज का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है**

भीलवाड़ा, (निसं)। मांडल तहसील के चतरपुरा भादू गांव में एक परिवार पर हुए जानलेवा हमले और आगजनी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। उदयपुर में उपचार के दौरान घायल जगदीश सिंह की मौत के बाद गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर सर्व समाज और रावणा राजपूत समाज का भारी जमावड़ा लगा हुआ है।

जानकारी के अनुसार बीती एक तारीख की रात को चतरपुरा भादू गांव में करीब 50-60 असामाजिक तत्वों ने एक रावणा राजपूत परिवार के घर में घुसकर महिलाओं और पुरुषों पर सरियों व कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया था। हमलावरों ने घर में आग भी लगा दी थी। इस हमले में जगदीश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्होंने बुधवार रात दम तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाए, परिवार ने 25-30 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने अब तक केवल 1-2 लोगों को ही पकड़ा है।

सर्व समाज का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जब तक सभी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यह केवल एक परिवार पर हमला नहीं, बल्कि मानवता पर हमला है। जब तक जगदीश सिंह के हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं होंगे, समाज पीछे नहीं हटेगा। अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के उच्च अधिकारी समाज के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर मामला शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं।

अवैध अफीम व गांजा सहित दो गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान अवैध अफीम मय कार जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्यत्र माण्डवा थाना पुलिस ने बाइक सहित अवैध गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, पुलिस उप अधीक्षक राजीव राहर के सुपरविजन में खेरवाड़ा थानाधिकारी करनाराम के नेतृत्व में गठित दल ने 11 फरवरी रात में गश्त के दौरान खाण्डी ओवरी टोल से आगे राजस्थानी ढाबा के बाहर एक कार को देख चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना नाम नन्दलाल पुत्र रसीकलाल निवासी खाण्डी ओवरी उपला फला खेरवाड़ा होना व पास सीट पर रखी थेली में पीसा हुआ अवैध 846 ग्राम अवैध अफीम डोडा-चूरा होना बताया। इस पर आरोपी को गिरफ्तार कर कार मय अफीम डोडा-चूरा जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

इसी तरह माण्डवा थानाधिकारी निर्मल कुमार मय टीम ने नाकाबंदी के दौरान बिकरनी मरोड़ पर बाइक को रोक तलाशी ली तो चालक पंकज राव पुत्र मदनलाल निवासी गोगुन्दा फला महादेव जी की बावड़ी के पास रखे कट्टे की तलाशी ली तो उसमें 7.810 किलोग्राम अवैध गांजा पाया गया। इस पर मादक पदार्थ मय बाइक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया।

पत्थरों से भरी चार ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

बिना रवन्ना (परिवहन दस्तावेज) के चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली को रुकवाकर कार्रवाई की

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की सूचना पर पुलिस ने चार ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की। विश्वेंद्र सिंह ने अलसुबह करीब 3:30 बजे पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली निकलने की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन करीब 20 मिनट इंतजार के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद सुबह करीब आठ बजे उन्होंने सेवर थाने के सामने दोबारा ऐसे वाहन देखे। पुलिसकर्मी को थाने से बुलाकर लाने पर चार ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त करने की कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि गुरुवार सुबह मोती महल से सुप्रभातम की पूजा-अर्चना कर जवाहर फार्म लौट रहे थे। इसी दौरान सर्किट हाउस चौराहे के पास उन्हें अवैध खनन सामग्री (पत्थरों) से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली नजर आईं। इसकी सूचना सीओ सिटी को दी। सीओ ने मथुरा गेट थाने को सूचना देने की बात कही। विश्वेंद्र सिंह के अनुसार, सूचना देने के बाद वे करीब 20 मिनट तक मौके पर इंतजार करते रहे, लेकिन न तो पुलिस पहुंची और न ही कोई जवाब मिला। उन्होंने दो बार कंट्रोल रूम पर फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उन्होंने अपनी पोस्ट में इसे पुलिस प्रशासन की लापरवाही बताते हुए कहा कि इसी कारण शहर में अवैध खनन से भरे वाहनों का आवागमन धड़ल्ले से हो रहा है। विश्वेंद्र सिंह ने आगे बताया कि सुबह करीब 8 बजे जब वे सेवर थाने के सामने से गुजर रहे थे, तो वहां भी अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी मिली। उन्होंने अपने पीएसओ को थाने के अंदर भेजकर पुलिसकर्मी को बुलाया। करीब 10 मिनट बाद सेवर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद बिना रवन्ना (परिवहन दस्तावेज) के चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली को रुकवाया गया।

सेवर थाना एचएसओ सतीश भारद्वाज ने बताया कि शिकायत के आधार पर पत्थरों से भरी चार ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि खनन सामग्री कहां से लाई गई और संबंधित दस्तावेज वैध थे या नहीं।